FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर (दौसा)

चेतराम बनाम धोडी देवी वग़ैरह

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.न. 04/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.01.2026	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश हुआ। कार्यालय रिपोर्ट सरिस्ता हो चूकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने ग्राम नांगल मीना पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा के खसरा नम्बर 152/654, 153 पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया है। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः इस स्तर पर प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27.02.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
27.2.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तामीलें पेश नहीं की। तामीलें अनिवार्य रूप से पेश हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 16.4.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
16.4.26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली तलबी में लंबित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहक हुक्म जारी
	चेतराम बनाम छोटी देवी मु.नं.– 04/26 किस्म – T.D.	
	प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	